फारम संख्या– 562।

न्यायालय भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता सदर, दरभंगा

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 कर नियम 129)

Exp-3/9/13

आदेश पत्रक ....

वाद संख्या 187 सन् 2013 – 14

श्री राम श्रवण साह बनाम श्री रामदेव साह

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
	श्री राम श्रवण साह पे० स्व० श्री पंचन साह सा०- कटासा थाना - सिंहवाड़ा, जिला- दरभंगा के जिला जन शिकायत कोषांग के निबंधन संख्या - 1531 दिनांक - 23.05.13 दरभंगा के द्वारा प्राप्त हुआ है। वादी के परिवाद - पत्र के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि वादी के भूमि को रामदेव साह एवं उनके पुत्र के द्वारा वादी के भूमि को अतिक्रमण कर कब्जा करना चाहते हैं और अतिक्रमण कर घर बनाना चाहते हैं। वादी के परिवाद - पत्र के आलोक में वाद को प्रतिग्रहित किया जाता है। पक्षकार को सूचना निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 19.06.13 को रखें। लेखापित [signature] 2/6 भू० सु० उ० -समा० सदर, दरभंगा [signature] 2/6/13 भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता सदर, दरभंगा।	29-6-13 9.7.13 15.7.13 30/7/13 22-8-13 06/09/13 20-9-13 3.10.13 28/10/13 19/11/13 5-12-13

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
19-6-13.	वादी / अनु० प्रतिवादी / पुन दिनांक - 29-6-13.	
29/06/13	वादी अनुपस्थित है। प्रतिवादी अनुपस्थित है। अभिलेख दिनांक 09/07/13	
09/07/13	वादी की हाजरी एवं वकालतनामा दाखिल है। प्रतिवादी अनुपस्थित है। अभिलेख दिनांक 19/07/13 न्या० मु० उ० सभा०	
19/07/13	वादी की हाजरी नहीं है विपक्षी अनुपस्थित हैं। अभिलेख दिनांक 30/7/13 न्या० मु० उ० सभा०	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित
30.7.13	वादी की हाजरी है। विपक्षी - अनु०। पुनः दिनांक - 22.8.13 को रखें। [illegible]	
22/8/13	वादी की हाजरी है। तथा आवेदन है। विपक्षी - अनु०। पुनः दिनांक 6.9.13 को रखें [illegible]	
6.9.13	वादी की हाजरी है। विपक्षी - अनु०। अधोहस्ताक्षरी बैंक में भाग लेने गये हैं। पुनः दिनांक - 20.9.13 को रखें। [illegible]	
20.9.13	वादी की हाजरी है। विपक्षी - अनु०। विपक्षी को सूचना निर्गत करें। अभिलेख दिनांक - ~~30.10.13~~ 3.10.13 को रखें। [illegible]	
3.10.13	उभयपक्ष - अनु०। अधोहस्ताक्षरी प्रशिक्षण में गये हैं। पुनः दिनांक - 28-10-13 को रखें। [illegible]	

28.10.13 - वादी / प्रति. अनु.।

पुनः दिनांक 19.11.13 को रखें।

28/10/13

[illegible]

19.11.13 उभयपक्ष अनु.।

पुनः दिनांक 5.12.13 को रखें।

[illegible]

05.12.13 उभयपक्ष अनु.

अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन करने से यह ज्ञात हुआ कि वादी/प्रतिवादी विगत कई तिथियों से लगातार अनुपस्थित रहे हैं उससे यह स्पष्ट होता है कि वादी को इस वाद की कार्यवाही में कोई रुचि नहीं है। अतः इस वाद की कार्यवाही को समाप्त किया जाता है।

05/12/13

[illegible]